

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प. 9(133)राज-6/15/05

जयपुर, दिनांक 01-03-17

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (अधिनियम सं० 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप-धारा (1) सपटित धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं इसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत जिला उदयपुर जहां भू-प्रबन्ध कार्य चल रहा है वहां सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग निरीक्षक, भू-प्रबन्ध द्वारा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी का पदस्थापन होने तक जिला उदयपुर के सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी०एस० बिश्नोई)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिपिति:- निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, हरिशचन्द माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर।
6. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
7. अधिक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को दिनांक 01-03-17 के राजस्थान गजट में प्रकाशनार्थ।
8. आल परपज रेवन्यु ट्रेनिंग स्कूल, टोंक।
9. राविरा, राजस्व मण्डल अजमेर।
10. राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव